जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम डूल्योचाड़ा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान सम्वत् २०२८ से २०३१

क्रम संख्या	खतौनी की संख्या	[illegible] (Tribute) का राजस्व	भूमि अधिकारी (...) विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित	खसरा संख्या	रकबा	भूमि का प्रकार	सिंचाई के साधन	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
			(ख) स्थाई रूप से लगान देने वाले काश्तकार								
	२		श्री सरकार	१. अचलसिंह s/o मगसिंह कौम राजपूत साकिन खातेदार	६	६५॥/३	बा.अ.				
					११	१२॥/४	"				
					१६	२१॥/१	"				
					१५	२०/१	"				
					८०	२६॥/४	"				
					८१	४४॥/३	"				
					६	१६५/१					
					२२	२०)	बा.अ.				
					४३	३०/१	"				
					७१	१३)	"				
					३	६३/४					
			"	अमरा पुत्र रामु जाति माली साकिन खातेदार	८३	२८/४	बा.अ.				
					११४	१६॥/					
					१२२	१५/४	"				
					३	४६/					
	४ म्यु. नं. १०		"	अचल सिंह s/o मगसिंह							

ना.क. २२
पचन कुमार पुत्र मगसिंह
११) ६६६५ मगसिंह
हुआ १२०॥/४ ६६
२) ०६२
ना.क. २६
३) ४८८ चेलीया s/o
२८/ १६३
३) २८६४
नाथाराम s/o
४) ८०६६ मेगवाल २८
२९ ४४॥/३ २५.१
६) २८९२
३) २३६५
४) ५०४८
३) ४०३६
३) २४०५
३) ६०३३
३) ४६०

प्रमाणित प्रतिलिपि
तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर
२०.९.२०

तैयारकर्ता मिलानकर्ता

जमाबन्दी गांव :उचियारड़ा
तहसील :जोधपुर
सम्वत :2057-2060
क्षेत्रफल बीघा/बिस्वा में

पटवार क्षेत्र :नांदड़ा कल्लां
जिला :जोधपुर
वास्तविक सम्वत :2057

भू -अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र : जोधपुर
दिनांक :July 22,2001

खेवट (खतोनी) नया	पुराना	भूमि धारको का नाम	काश्तकार का नाम, पिता जाति तथा निवासस्थान के पता सहित तथा कृषि काल	खसरा नं	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		सिंचाई के साधन	दर	लगान	नामान्तरकरण आदेश नं तथा तारिख	भूमि ब्योरा विशिष्टता जिस के पक्ष भूमि अन्तरित हो	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
102	73	राज. सरकार	सुरजाराम पि.गुलाराम 1/2 मंगलाराम पि. मालाराम 1/2 जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार	95	24-18	बारानी I	24-18			28.80	M.No 149 / 20.7.05 के द्वारा सुरजाराम के स्थान पर पाबूराम ओमाराम जालाराम पि. सुरजाराम शाबू देवी w/o सुरजाराम 1/2 भेष बहाल		
				97	21-12	बारानी I	21-12						
				107	4-14	बारानी I	4-14						
कुल :			कुल खसराः	3	कुल क्षेत्रफलः 51-04	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी I	51-04			28.80 28.80			
103	71	राज. सरकार	सुरजाराम पि.गुलाराम 1/4 गोरधनराम पि.गुलाराम 1/4 कानछाराम पि.गुलाराम 1/4 चौखाराम पि.गुलाराम 1/4 जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार	100	132-02	बारानी I	132-02			74.42	M.No 149 / 20.7.05 के द्वारा सुरजाराम के स्थान पर पाबूराम ओमाराम जालाराम पि. सुरजाराम शाबू देवी w/o सुरजाराम 1/4 भेष बहाल		
				101/1	0-08	ग.मु.दाणी	0-08						
कुल :			कुल खसराः	2	कुल क्षेत्रफलः 132-10	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी I ग.मु.दाणी	132-02 0-08			74.42 74.42			
104	31	राज. सरकार	सुरजाराम पि.भोमाराम जाति राईका सा.देह खातेदार नाम.स.128	73/मिन 01	6-10	बारानी I	6-10			3.67			
कुल :			कुल खसराः	1	कुल क्षेत्रफलः 6-10	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी I	6-10			3.67 3.67			
105	74	राज. सरकार	सुरजाराम पि.रामुराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार	83	6-07	बारानी I	6-07						
				119	16-14	बारानी I	16-14			12.96			
कुल :			कुल खसराः	2	कुल क्षेत्रफलः 23-01	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल बारानी I	23-01			12.96 12.96			
106	76	राज. सरकार	सुकटी पत्नि भीकाराम जाति भाट सा.देह खातेदार	31/2	30	बारानी III	30			8.40			

प्रमाणित प्रतिलिपि
तहसीलदार जोधपुर
तैयारकर्ता मिलानकर्ता

राजस्थान RAJASTHAN

॥ श्री ॥

–:: बख्शीश नामा (Gift Deed) ::–

फोटो प्रथम पक्ष

फोटो द्वितीय पक्ष

बख्शीशनामा एक लिख देता हूं मैं **सुरजाराम पुत्र श्री रामूराम,** जाति मेघवाल, उम्र 82 वर्ष, निवासी– ग्राम उचियारडा, तहसील व जिला जोधपुर (राज॰) में रहने वाला (जिन्हें इस बख्शीश नामा दस्तावेज में प्रथम पक्षकार यानि बख्शीशकर्ता के नाम से सम्बोधित किये जायेगा), ने आधार नं. [redacted] 4149

ब ह क

श्रीमती पूनम पत्नी श्री कालूराम, उम्र 43 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी– मेघवालों का बास, उचियारडा, तहसील व जिला जोधपुर (राज॰) में रहने वाली (जिन्हें इस बख्शीश नामा दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार यानि बख्शीशग्रहिता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा), के हक में निम्न प्रकार से तहरीर व तकमील कर देता हूं कि:–
आधार नं. [redacted] 8296

(RTI) सुरजाराम

पूनम

(RTI)

3932 10-9-14

(1204/21)

01. यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार की एकल खातेदारी की, कब्जासुदा, मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 119 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी–प्रथम वाके ग्राम उचियारड़ा, पटवार क्षेत्र नान्दड़ा कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में एकमात्र मुझ प्रथम पक्षकार के नाम से एकल खातेदारी में दर्ज है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 खाता संख्या नया 111 व पुराना 105 के अवलोकन से स्पष्ट है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर एकमात्र मैं प्रथम पक्षकार ही बहैसियत रेकर्डेड खातेदार काबिज चला आ रहा हूँ, मुझ प्रथम पक्षकार को उक्त कृषि भूमि को हर प्रकार से उपयोग, उपभोग एवं बेचान हस्तान्तरण करने के तमाम विधिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति, संख्स, संस्था इत्यादि का हक, अधिकार नहीं है। इसी अधिकार के तहत मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त वर्णित ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 119 की सम्पूर्ण रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि** को बख्शीश करना तय कर बख्शीश कर दिया है, जिसकी विगत इस प्रकार है :–

बख्शीश किया जा रहा रकबा :-

ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 119 की सम्पूर्ण रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि** का बख्शीश किया जा रहा है।

02. यह है कि आप द्वितीय पक्षकार, जो कि मुझ प्रथम पक्षकार की **सगी पुत्रवधु** है तथा मुझ प्रथम पक्षकार को आप द्वितीय पक्षकार से अपार प्रेम व स्नेह है। इस कारण प्रेम व स्नेहवश मुझ प्रथम पक्षकार ने अपनी उपरोक्त वर्णित ग्राम उचियारड़ा, तहसील व जिला जोधपुर के **खसरा नम्बर 119 की सम्पूर्ण रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि** को आज दिन आप द्वितीय पक्षकार

(LTI)

सुरजाराम

(RTI)

रामा

Presentation Endorsement Print Date: 9/10/2024 1:57:54 PM

आज दिनांक 10 माह 09 सन् 2024 को 01:45 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SURJA RAM पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMU RAM
उम्र 82 वर्ष, जाति 0-MEGHWAL , व्यवसाय Other
निवासी House No.:0, Colony: UCHIYARDA, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

(LTI)

सुरजाराम

हस्ताक्षर: प्रस्तुतकर्ता
202401054022045
Gift in favour of daughter in law

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Fees Receipt Endorsement Print Date: 9/10/2024 1:57:54 PM

रसीद नं.	202402054022308
दिनांक	10-09-2024
पंजीयन शुल्क ₹	410122
प्रनिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	100
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	30
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	410552

202401054022045

Gift in favour of daughter in law

उप पंजीयक,
JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
Stamp BV123954 ₹ 130 # e-Gras
Challan 94293910 ₹ 410422

Endorsement of Execution

Print Date: 9/10/2024 1:57:54 PM

को इस बख्शीशनामा के जरिये बगैर कोई प्रतिफल लिऐ दान/बख्शीश कर दी है, जो आप द्वितीय पक्षकार ने स्वीकार कर लिया है।

03. यह है कि उपरोक्त वर्णित बख्शीश की जा रही कृषि भूमि का कब्जा बहैसियत मालिकाना वास्तविक, कानूनी वाकई, रूबरू, मौतबिरान के आज ही आप द्वितीय पक्षकार को करवा दिया है जिस पर आप द्वितीय पक्षकार काबिज हो गयी है, आज से उपरोक्त बख्शीश की जा रही कृषि भूमि का आप द्वितीय पक्षकार व आपकी आल औलाद अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग कर सकेगें, अपने नाम से नामान्तरकरण करवा सकेंगे, जिस पर मुझ प्रथम पक्षकार व मेरे अन्य वली, वारिसान् उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं होगा व आप द्वितीय पक्षकार ही उक्त बख्शीश की गई कृषि भूमि के काबिज व मालिक व स्वामी रहेंगे।

04. यह है कि उक्त बख्शीश की गई कृषि भूमि के मुतलिक मुझ प्रथम पक्षकार के जो भी राईट्स टाईटल इन्टरेस्ट व मालिकाना अधिकार आज दिन हासिल है वो सभी इस दस्तावेज की रूह से आज दिन से आप द्वितीय पक्षकार के हक में स्वतः ही निहित समझे जायेगे यानि कि आज से उक्त तमाम मालिकाना अधिकार आप द्वितीय पक्षकार के है व रहेगे।

05. यह है कि मैं प्रथम पक्ष आप द्वितीय पक्षकार को यह पूर्ण यकीन व विश्वास दिलाता हूँ कि उक्त बख्शीश की जा रही भूमि में मुझ प्रथम पक्षकार के अलावा अन्य किसी सख्स का किसी प्रकार का हक, बंट, कब्जा, दखल, अधिकार, वास्तव सरोकार नहीं है और न ही उक्त भूमि को मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा आज दिन तक पूर्व किसी सख्स को बेचान अथवा बेचान इकरार किया हुआ है, और **न ही किसी सख्स के हक में वसीयत बक्सीश किया हुआ है और** न ही किसी के पास गिरवी, अडाणे, भोगलावे, आईवाल, रहन,

(LTI) सुरजाराम

(RTI) पुना

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SURJA RAM , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAMU RAM , व्यवसाय Otherजाति 0-MEGHWAL House No.:0, Colony: UCHIYARDA, Area: JODHPUR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN	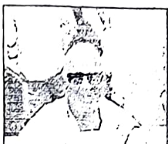		Executant Age : 82 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SMT PUNAM , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री KALU RAM , व्यवसाय Otherजाति 0-MEGHWAL House No.:0, Colony: MEGHWALO KA BASS, Area: UCHIYARDA, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN	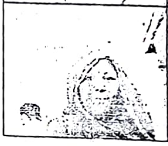		Claimant Age : 43 Signature :

ने लेख्यपत्र Gift in favour of daughter in law को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री CHHINAKI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LUNA RAM जाति MEGHWAL Age: 56 Add: House No.:0, Colony: JANIYO KI DHANI, Area: BASANI NIKUBA NANDARA KALLA, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री DUGARKI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SHESHA RAM जाति MEGHWAL Age: 51 Add: House No.:0, Colony: SHIV DHUNA, Area: BASANI NIKUBA BANAR, City: JODHPUR, Pin code: 342001, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature
3	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री PRAKASH MEGHWAL , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ADVOCATE जाति MEGHWAL Age: 30 Add: House No.:0, Colony: RHC, Area: RHC, City: JODHPUR, Pin code: 342006, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202401054022045

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Gift in favour of daughter in law

उप पंजीयक (चतुर्थ) [illegible]

बरहन रखा हुआ है और न ही इस पर किसी प्रकार का ऋण बकाया है और न ही इस बाबत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है और न ही किसी डिक्री में कुर्क सुदा है और न ही इस पर भार चार्ज है यानि पाक व साफ है।

06. यह है कि उक्त बक्शीश की जा रही कृषि भूमि के बाबत् आप द्वितीय पक्षकार अपने नाम से नामान्तरकरण करवा सकेंगे, तरमीम करवा सकेंगे, इसके लिए मुझ प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षरो, उपस्थिति, बयान आदि देने की आवश्यकता हुई तो मैं प्रथम पक्ष उक्त सभी कुल कार्यवाहियां आप द्वितीय पक्ष के कहेनुसार मुकम्मिल करवा दूंगा।

07. यह है कि उक्त बक्शीश की जा रही भूमि के बाबत् समस्त दस्तावेजात् जमाबन्दी, गिरदावरी, रेवेन्यू मेप इत्यादि आज दिन आप द्वितीय पक्षकार को सुपुर्द कर दिये है। इनके अलावा मुझ प्रथम पक्षकार के पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है अगर कोई हुए या पाये गये तो आप द्वितीय पक्षकार को सुपुर्द कर दिये जायेगें। आपके विरूद्ध किसी प्रकार से उपयोग नही किया जायेगा।

08. यह है कि उक्त बक्शीश की जा रही कृषि भूमि ग्राम आबादी से दूर तथा मुख्य सड़क, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दूर अन्दर की तरफ स्थित है, जो असिंचित है, जिसमें कोई ट्युबवेल नहीं है, जिसमें केवल सावणु फसल होती है तथा भूमि पूर्णतया खाली है, जिस पर कोई निर्माण किया हुआ नही है।

09. यह है कि यह बख्शीशनामा का दस्तावेज नियमानुसार मुद्रांकों पर निष्पादित किया गया है। यह मुद्रांक शुल्क मुझ दानकर्ता द्वारा ही अदा किया गया है क्योंकि इस दान प्रक्रिया में लगने वाले सभी खर्चों का दायित्व प्रथम पक्षकार का ही है।

10. यह है कि उक्त बख्शीश बिना प्रतिफल लेन–देन के किया गया है, जिसको द्वितीय पक्षकार ने बख्शीश के रूप में सहर्ष स्वीकार किया है।

लिहाजा यह बख्शीशनामा मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के सोच समझकर, बिना किसी नशे पते के, तन्दुरूस्ती की हालत में, रूबरू मौतबिरान के आप द्वितीय पक्षकार के हक में लिख दिया है जो सही है, सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक :– 10.09.2024

–स्वीकारोक्ति–

❖ कि मुझ दानग्रहीता द्वितीय पक्षकार को इस दानपत्र में वर्णित कृषि भूमि का मेरे दानकर्ता/ प्रथम पक्षकार द्वारा दिया गया दान मुझे स्वीकार है।

(RTI) पूनम (LTI) सुरजाराम

(हस्ताक्षर व अं. नि. बख्शीशग्रहिता) (हस्ताक्षर व अं. नि. बख्शीशकर्ता)

साख–1 साख एक मुझ छौनकी पुत्र श्री लुणा राम जाति मेघवाल निवासी जाणियों की ढाणी खारडा तहसील ओसियां की है जो मैंने प्रथम पक्षकार के कहने से डाली है, प्रथम पक्षकार ने इस दस्तावेज पर मेरे सामने स्वस्थचित्त हालत में स्वेच्छा से हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये हैं जो सही है। (RTI)

छौनकी

साख–2 साख एक मुझ डुंगरकी पुत्र श्री रेखाराम जाति मेघवाल निवासी शिव द्वुगा खारडा तहसील जोधपुर की है जो मैंने प्रथम पक्षकार के कहने से डाली है, प्रथम पक्षकार ने इस दस्तावेज पर मेरे सामने स्वस्थचित्त हालत में स्वेच्छा से हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये हैं जो सही है।

पूनम (RTI) डुंगरकी

Under 54 Endorsement

Print Date: 9/10/2024 4:30:43 PM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 41012194 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 100 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 410122, सरचार्ज राशि 30 कुल रू 410252 रसीद संख्या 202402054022308 दिनांक 10-09-2024 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 100 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202401054022045

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

उप पंजीयक (चतुर्थ)
जोधपुर

Gift in favour of daughter in law

Registration Endorsement

Print Date: 9/10/2024 4:30:43 PM

आज दिनांक 10/09/2024 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 629 में
पृष्ठ संख्या 169 क्रम संख्या 202403054116930 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2516 के
पृष्ठ संख्या 241 से 250 पर चस्पा किया गया।

202401054022045

उप पंजीयक, JODHPUR-IV

Gift in favour of daughter in law

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- उचियारड़ा
पटवार हल्का :- उचियारडा
भू.अभि.नि. :- जोधपुर उत्तर
तहसील :- जोधपुर
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2081-2084 जमाबंदी 2081 (वर्ष 2024) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 213
खाता संख्या पुराना :- 111

काश्तकार का नाम:-

1. पूनम पत्नि कालूराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. deh खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
119	2.7033	बारानी I	2.7033	1.51		स्वीक्रत नामांतरकरण : 848 21/12/2024उपहार	
कुल खसरे - 1	2.7033		2.7033	1.5100			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 28-Dec-2024

NIC

सत्य प्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 314 दिनांक 28/12/2024

मनीष टोडावत
पटवारी (भू.अ.) उचियारड़ा
तहसील – जोधपुर

पूनम

राजस्थान सरकार
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन–1)

सत्यमेव जयते

क्रमांक : LU2012/JOD/20 24-25/102773 दिनांक – 12/03/2025

–: आदेश :–

आवेदक/खातेदार :– पूनम पत्नी कालुराम निवासी– मेघवालों का बास, ग्राम उचियारडा, जोधपुर।

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि को **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

क्र. सं.	ग्राम, तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	राजस्व ग्राम उचियारडा तहसील जोधपुर व जिला जोधपुर	पूनम पत्नी कालुराम	119	7607.84 वर्गमीटर
		कुल		**0.760784 हैक्टेयर**

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथा विहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर से आज दिनांक **12/03/2025** को जारी किया गया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
सत्यमेव जयते

प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन संख्या–1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

उपायुक्त (जोन–1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Object reference not set to an instance of an object.

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- उचियारड़ा	अंतिम चौसला आधार संवत :- 2081-2084 जमाबंदी 2081 (वर्ष 2024) से स्थायी
पटवार हल्का :- उचियारडा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- जोधपुर उत्तर	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- जोधपुर	खाता संख्या नया :- 234
जिला :- जोधपुर	खाता संख्या पुराना :- 259

काश्तकार का नाम:-

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए अ.विव.- नामा.स.706,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1/4	1.1574	शैक्षणिक प्रयोजन	1.1574	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 873 21/02/2025सर्मपण	
1/5	1.1817	शैक्षणिक प्रयोजन	1.1817	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 874 28/02/2025सर्मपण	
1/7	0.9712	शैक्षणिक प्रयोजन	0.9712	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 886 18/04/2025सर्मपण	
1/8	0.6556	शैक्षणिक प्रयोजन	0.6556	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 892 18/04/2025सर्मपण	
10	1.1250	गै.मु.नदी	1.1250	0.00			
100/12	0.1222	पेट्रोल पम्प	0.1222	0.00			
100/17	0.5140	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.5140	0.00			
116/2	0.3318	आवासिय	0.3318	0.00			
116/3	0.3318	आवासिय	0.3318	0.00			
118	0.3237	बारानी I	0.3237	0.18			
118/1	0.6475	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.6475	0.00			
118/3	0.1959	आवासिय	0.1959	0.00			
12	1.9425	गै.मु.नदी	1.9425	0.00			
122/1	0.6070	आवासिय	0.6070	0.00			
122/2	0.7284	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.7284	0.00			
122/3	0.3318	बारानी I	0.3318	0.19			
122/4	0.3318	बारानी I	0.3318	0.19			
127/3	1.6187	अकृषि प्रर्योजनार्थ	1.6187	0.00			
129/8	0.0809	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.0809	0.00			
13	6.1026	गै.मु.नदी	6.1026	0.00			
133/4	0.6070	आवासिय	0.6070	0.00			
133/6	0.2092	आवासिय	0.2092	0.00			
133/7	0.2222	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.2222	0.00			
134/10	0.1667	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.1667	0.00			
134/11	0.1768	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.1768	0.00			
134/12	0.4856	आवासीय	0.4856	0.00			
134/13	0.4290	आवासिय	0.4290	0.00			
134/14	0.9712	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.9712	0.00			
134/4	0.4856	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.4856	0.00			
134/5	0.2048	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.2048	0.00			

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- उचियारड़ा
पटवार हल्का :- उचियारडा
भू.अभि.नि. :- जोधपुर उत्तर
तहसील :- जोधपुर
जिला :- जोधपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2081-2084 जमाबंदी 2081 (वर्ष 2024) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 234
खाता संख्या पुराना :- 259

134/6	0.4856	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.4856	0.00
134/7	0.2129	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.2129	0.00
135	1.9425	बारानी I	1.9425	1.09
135/3	3.2375	अकृषि प्रर्योजनार्थ	3.2375	0.00
135/7	0.9712	आवासिय	0.9712	0.00
135/8	0.5666	आवासीय प्रयोजन	0.5666	0.00
137/6	0.8822	आवासीय	0.8822	0.00
138/1	1.1331	आवासीय	1.1331	0.00
138/2	1.2950	आवासिय	1.2950	0.00
138/3	0.1538	आवासीय्	0.1538	0.00
138/5	0.1109	आवासीय	0.1109	0.00
140/15	0.1465	पेट्रोल पम्प	0.1465	0.00
140/3	0.3399	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.3399	0.00
140/9	0.0809	आवासीय्	0.0809	0.00
143/135	0.1839	आवासीय इकाई	0.1839	0.00
147/119	0.7607	आवासीय	0.7607	0.00
149/6	2.2715	होटल प्रयोजन	2.2715	0.00
153/67	0.1612	आवासीय प्रयोजन	0.1612	0.00
17	18.5750	गे.मु.आगोर	18.5750	0.00
17/1	0.8741	गे.मु.नाडी	0.8741	0.00
21	5.3499	गे.मु.आगोर	5.3499	0.00
27/11	0.4856	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.4856	0.00
27/12	0.1829	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.1829	0.00
27/7	0.6475	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.6475	0.00
3	1.3436	गे.मु.नाडी	1.3436	0.00
31/1	0.9712	अकृषि प्रर्योजनार्थ	0.9712	0.00
31/3	1.7588	अकृषि प्रर्योजनार्थ	1.7588	0.00
31/4	1.8988	आवासीय्	1.8988	0.00
31/5	1.0570	आवासिय	1.0570	0.00
31/6	0.8855	गै.मु.आवासीय प्रायोजनार्थ	0.8855	0.00
31/7	1.9830	आवासिय	1.9830	0.00
32/3	1.6187	फार्म हाऊस	1.6187	0.00
32/4	0.4642	आवासीय्	0.4642	0.00
32/5	0.4642	आवासीय्	0.4642	0.00
32/6	0.4642	आवासीय्	0.4642	0.00
32/7	0.4286	आवासीय	0.4286	0.00
32/8	0.1214	आवासीय्	0.1214	0.00
32/9	0.9712	आवासिय	0.9712	0.00

"J.K. RESIDENCY"

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 119 VILLAGE UCHIARADA AT JODHPUR

(New K.No. – 147/119)

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.Mtr.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	4562.49	59.97 %
PARK AREA	424.34	05.58 %
M.T./S.W.D. AREA	86.39	01.13 %
ROAD AREA	2534.86	33.32 %
TOTAL SCHEME AREA	7608.08	100.00 %
Area in Bigha. = 04 Bigha , 14 Bishwa		

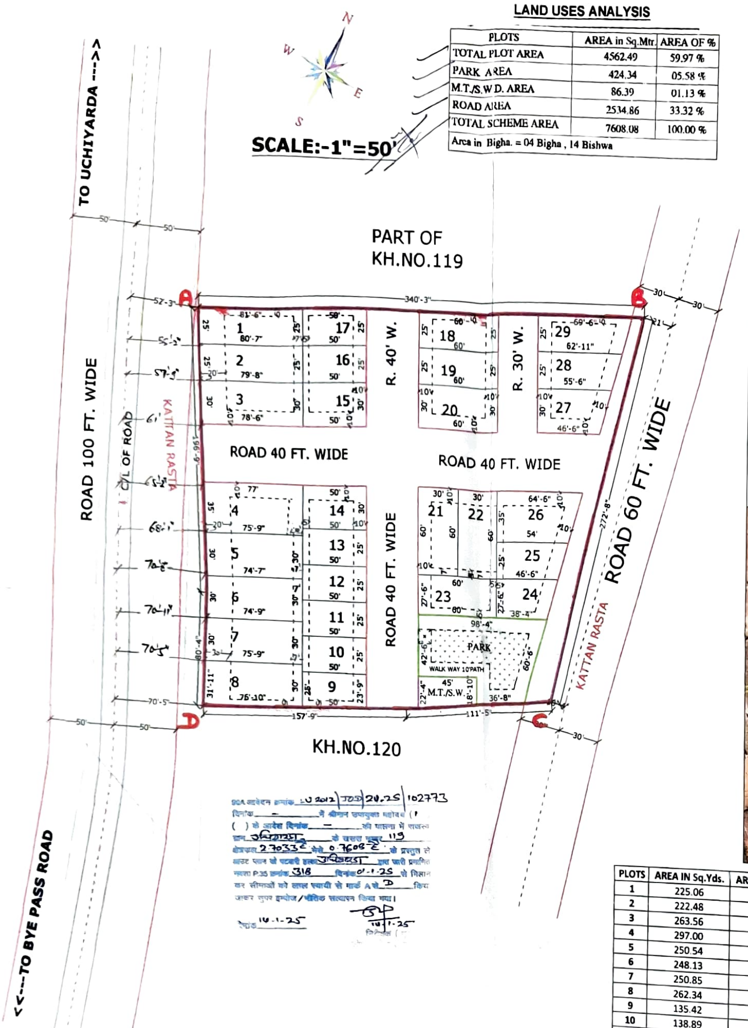

KEY PLAN

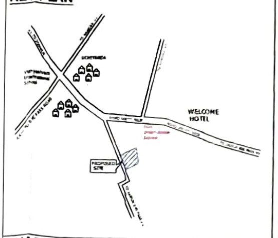

KHASRA MAP

NOT TO SCALE

PLOTS	AREA IN Sq.Yds.	AREA IN Sq.Mtr.
1	225.06	188.18
2	222.48	186.02
3	263.56	220.37
4	297.00	248.33
5	250.54	209.48
6	248.13	207.47
7	250.85	209.74
8	262.34	219.35
9	135.42	113.23
10	138.89	116.13
11	138.89	116.13
12	138.89	116.13
13	138.89	116.13
14	166.67	139.35
15	166.67	139.35
16	138.89	116.13
17	138.89	116.13
18	166.67	139.35
19	166.67	139.35
20	200.00	167.23
21	200.00	167.23
22	200.00	167.23
23	183.33	153.29
24	129.61	108.37
25	139.66	116.78
26	230.47	192.70
27	169.91	142.07
28	164.46	137.51
29	183.86	153.73
TOTAL	5456.70	4562.49

JDA/Dir(P)/Z-01/104
09/7/2025

एजेण्डा संख्या 06 (राजकाज सं. 12822) (बैठक दिनांक 11.06.2025) :– जोन–01

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक / दिनांक	351 / 13.05.2025
2.	आवेदक का नाम	श्रीमती पूनम पत्नी श्री कालूराम
3.	राजस्व ग्राम	उचियारड़ा
4.	खसरा संख्या	119
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	27033 वर्गमीटर में से 7607.84 वर्गमीटर
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय–	

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. प्राधिकरण द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान एवं पूर्व में किये गये कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा स्थित सड़क का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 मीटर एवं पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 18 मीटर रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटान मार्ग को जोनल डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क के अतिरिक्त सड़क मार्गाधिकार में समायोजन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावे।
3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों को समावेश कर नियमानुसार संशोधन करते हुए ले–आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. आवेदित भूमि के मानचित्र/ले–आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जावे। अन्य उपयोगों की ओर प्रस्तावित पार्क व खुला क्षेत्र की भूमि में पार्क डिजाईन के तहत 03 मीटर आन्तरिक पाथ–वे (Walk-way) दर्शाया जावे।
5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 व उक्त के क्रम में समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावे।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे।
7. रेरा अधिनियम–2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ–पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
8. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में हटा लिए जाने एवं सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

18/06/25
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

18/06/2025
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

9-7-2025
उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर